"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 मार्च 2007—फाल्गुन 11, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2007

क्रमांक ई-1-3/2007/एक/2.—श्री पी. जॉय. ओमेन, भा. प्र. से. (1977) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. श्री पी. जॉय. ओमेन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-1954 के नियम-9 (1) के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-3 (ए) में सम्मिलित मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक ई-7/53/2004/1/2.—डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा. प्र. से., अपर कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 22-01-2007 से 05-02-2007 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 जनवरी, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सिंह आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्रमांक ई-7/4/2003/1/2.—श्री एस. के. तिवारी, भा. प्र. से., कलेक्टर, महासमुंद को दिनांक 14-02-2007 से 23-2-2007 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी आगामी आदेश तक कलेक्टर, महासमुंद के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री तिवारी के उक्त अवकाश अवधि में श्री एन. के. खाखा, रा. प्र. से. अपर कलेक्टर, महासमुंद अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, महासमुंद का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्रमांक ई-7/22/2004/1/2.—श्री एन. के. असवाल, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 19-02-2007 से 26-02-2007 (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16, 17 एवं 18-02-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री असवाल, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री असवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री असवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री असवाल के उक्त अवकाश अवधि में डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव, छ. ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ सचिव, राजस्व विभाग का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्रमांक 1605/डी-410/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय के परामर्श से महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में पदस्थ निम्नलिखित सारणी के क्रमांक (2) में वर्णित विधि अधिकारी को छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय हेतु अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है :-

क्रमांक (1)	विधि अधिकारी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री देव करण ग्वालरे	शासकीय अधिवक्ता

F. No.1605/D-410/XXI-B/CG/07.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-24 of the code of criminal procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the State Government in consultation with the High Court of Chhattisgarh, is pleased to appoint the Law Officer of Advocate General Office, Bilaspur specified in column No. (2) as Additional Public Prosecutors for the High Court of Chhattisgarh :-

No. (1)	Name of Law Officers (2)	Designation (3)
1.	Shri Dev Karan Gwalre	Govt. Advocate

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2007

क्रमांक एफ-7/1/06/आया/40.—छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्र. 3 सन् 1931) की धारा 64 के अधीन पूर्व प्रसारित कार्यकारी अनुदेश दिनांक 25-10-1969 में राज्य सरकार एतद्द्वारा कंडिका 2.3 विलोपित के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका स्थापित की जाती है.

"तालाब के तल अथवा डूब के बाहर की खेती के लिये पट्टा देते समय ऐसे व्यक्तियों, जिनकी जमीन तालाब के डूब में आ गई है, उन्हें रुपये 10/- प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की समान दर पर पट्टा दिया जावेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2007

क्रमांक/एफ-1-5/25-2/आजावि/2007.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य वक्फ बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को धारा 14 (ख) (iv) के अंतर्गत सदस्य नियुक्त करता है :

(1) श्री सैय्यद अलीम अमन, नूरानी मस्जिद, राजा तालाब, रायपुर

(2) श्री शेख मोहम्मद, मस्जिद, गोल बाजार, राजनांदगांव.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमेगा टोप्पो, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/F 9-1/07/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, सीमेंट एम्पलाईज यूनियन (सीटू) 25/45, ब्राम्हणपारा रायपुर एवं कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्रा. लि., सोनडीह सीमेंट प्लांट पो. रसेडा जिला-रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 3/सी. जी. आई. आर./2006

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/F 9-1/16/07.—कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. सोनाडीह सीमेंट प्लांट पो. रसेडा जिला-रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, सीमेंट एम्पलाईज यूनियन (सीटू) 25/45 ब्राम्हणपारा रायपुर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. सोनाडीह सीमेंट प्लांट पो. रसेडा, जिला-रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. के सोनाडीह सीमेंट प्लांट में कार्यरत समस्त संविदा श्रमिकों को भी विभागीय श्रमिकों की तरह रियायती केंटिन की सुविधा अर्थात् केंटिन में भोजन, नाश्ता एवं चाय उसी रियायती दर पर विभागीय श्रमिकों के समान केंटिन सुविधा एवं लाभ पाने की पात्रता संविदा श्रमिक रखते हैं ? यदि हां तो इस संबंध में सेवायोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/F 9-2/16/2007.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा, गोपाल नगर जिला-जांजगीर-चांपा एवं प्रबंधन लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जिला-जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 6/सी. जी. आई. आर./2006

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/F 9-2/07/16.—चूंकि कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जांजगीर-चांपा के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा गोपाल नगर जिला जांजगीर-चांपा द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जांजगीर-चांपा और महासचिव लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा गोपाल नगर जिला-जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

तथा आरसमेटा सीमेंट प्लांट की स्थायी बदली स्पेलेज बदली ट्रायल वेजबोर्ड स्टाफ में कार्यरत कर्मकारों के वर्ष 2005-06 हेतु सोनडीह जोजोबेरा सीमेंट प्लांट के कर्मचारी को विपरीत अनुग्रह राशि 13.81% की भांति किया जाना उचित एवं वैध है अगर हो तो तत्संबंध में नियोजक के क्या निर्देश है तथा कर्मचारी किस सहायता के पात्र है.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/F 9-3/07/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, सीमेंट वर्क्स यूनियन मजदूर सभा भवन नंदनी रोड, भिलाई एवं मैनेजर लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा, सीमेंट प्लांट जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 8/सी. जी. आई. आर./2006

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/F 9-3/07/16.—मैनेजर लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट जिला-जांजगीर-चांपा एवं श्री जोगेन्द्र सिंह ठेकेदार लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.) के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, सीमेंट वर्क्स यूनियन मजदूर सभा भवन नंदिनी रोड भिलाई द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक मैनेजर, लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट जिला-जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या लाफार्ज सीमेंट प्रा. लि. आरसमेटा में कार्यरत 252 पीस रेटेड कर्मकारों को नियमित किया जाकर सीमेंट वेज बोर्ड अवार्ड अनुसार वेतनमान दिया जाकर पीस रेट प्रथा को समाप्त किया जाना उचित है ?
2. क्या पैकर मैन, क्लीनर, प्रिंटर, बैग सप्लायर को नियमित किया जाकर नियमित वेतन एवं सुविधा दिया जाना उचित है ?
3. अगर हां तो आवेदक किस सहायता का पात्र है ?
4. अनावेदक को तत्संबंध में क्या निर्देश है ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 5 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	ओडान प. ह. नं. 33	15.550	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 नवम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02/अ 82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बारापीपर	2.42	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग क्र.-1, खरसिया.	मेढापाली माइनर क्र.-1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 नवम्बर 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बारापीपर	2.23	अनुविभागीय अधिकारी, मांड नहर अनुविभाग क्रमांक-1, खरसिया.	मेढापाली माइनर क्र.-2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा., डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली	1.036	अनु. अधि., जल संसाधन उप संभाग, नंदेली.	जवाली माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय देखा जा सकता है..

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 फरवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	तेन्दुभाठा प. ह. नं. 43	63.220	कार्यपालन अभियन्ता (सिविल), भू-अर्जन छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल कोरबा (पूर्व)	2x 500 मेगावाट मडवा ताप विद्युत गृह निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 फरवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	मडवा प. ह. नं. 33	61.436	कार्यपालन अभियन्ता (सिविल), भू-अर्जन छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल कोरबा (पूर्व)	2x 500 मेगावाट मडवा ताप विद्युत गृह निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्रमांक/1412/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	पथरानवागांव प. ह. नं. 68	2.03	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	राघोनवागांव जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्रमांक/1413/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	अरजकुंड प. ह. नं. 68	1.05	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	राघोनवागांव जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 फरवरी 2007

क्रमांक/1414/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	माटराखुज्जी प. ह. नं. 68	8.56	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	राघोनवागांव जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 9 फरवरी 2007

क्रमांक/36/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	बाबू साल्हेटोला.	0.73	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, उप संभाग कांकेर.	महानदी सेतु कि. मी. 7/2 के पहुंचमार्ग निर्माण कार्य हेतु चाहिए.

कांकेर, दिनांक 9 फरवरी 2007

क्रमांक/39/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	संगपाल	0.47	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, उप संभाग कांकेर.	कांकेर-आमोड़ा-नरहरपुर मार्ग के कि. मी. 7/2 महानदी सेतु (आत्माराम ध्रुवा सेतु) निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 9 अ/82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.458 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
553	0.048
33/2	0.060
38/3	0.077
139/1	0.072
549	0.405
132	0.180
326, 328	0.265
22/4	0.004
150/9	0.416
142	0.077
40	0.101
322	0.049
564/1	0.070
563	0.048
334	1.036
201/1	2.201
139/2	0.064
144/2	0.316
145	0.172
544/2	0.040
547	0.108
561/1	0.129
144/1	0.324
313	0.012
544/1	0.821
330	0.310
312	0.024
318	0.048
323	0.097
22/5	0.080
543	0.085
128/2	0.065
133/1 क	0.076
136	0.202
333	0.198
553/2	0.405
544	0.180
562/2	0.202
548	0.162
319/1	0.160
331/2	0.072
143	0.117
127	0.101
654/3	0.080
314	0.045
315/1	0.101
315/2	0.125
320	0.109
321	0.146
140	0.154
319/2	0.080
331/3	0.092
332	0.194
135	0.040
541/2	0.101
316/1	0.008
141	0.125
42/2	0.045
134	0.085
561/2	0.072
42/1	0.049
565	0.162
137	0.202
133/1 ख, 133/2	0.196
133/1 ग, 132/2	0.197
200	0.117
325	0.582
337	0.121

(1)	(2)
568/3	0.820
559	0.286
566	0.080
43	0.060
562/1	0.138
130	0.075
555	0.008
128/1	0.210
550	0.076
553/1	0.302
138	0.020
41	0.053
335	0.275
37	0.056
331/1	0.092
योग 84	15.458

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार जिला रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 11 अ/82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-रायपुर
   (ख) तहसील-पलारी
   (ग) नगर/ग्राम-सिसदेवरी, प. ह. नं. 14
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.799 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
994	0.480
845/1	0.260
988/2	1.085
867/2	0.113
857	0.048
992/1	0.501
900/3	0.121
988/1	1.248
908	0.134
996	0.138
848/1	0.165
851	0.640
995/1	0.602
802/1	0.781
895	0.057
896	0.042
853	0.283
904	0.660
905	0.364
906	0.606
867/1	0.303
900/1	0.049
985	0.808
862/3	0.040
983/2	0.405
899	0.040
737/5	0.125
736/2	0.806
987/1	0.582
909/1	0.605
986/2	0.160
801	0.097
798	0.704
852	1.242
800	0.105
993	0.303
982	0.602
983/1	0.270
844/1	0.126
737/8	0.225
855/1	0.118
856	0.080
847	0.860
992/2	0.020
885/2	0.078

	(1)	(2)
	901	0.243
	844/2	0.048
	845/2	0.441
	846	0.590
	737/7	0.125
	854	0.450
	902	0.045
	981/2	1.331
	986/1	0.080
	997	0.080
	989	0.101
	898	0.105
	984	0.405
	737/9	0.256
	799	0.101
	803/1	0.105
	803/2	0.212
योग	62	21.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार जिला रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2007

क्रमांक अ. वि. अ. भू-अर्जन/प्र. क्र. 9/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मठपुरैना, प. ह. नं. 105
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.000 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	27/2, 28/1	9.908
	31	2.092
योग	3	12.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अन्तर्राज्यीय बस अड्डा के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन ,अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकार, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 14/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-नेवसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.31 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1013/1	0.26
1008/1, 1012/2	0.32
999	0.20
987/1, 997/1	0.04

(1)	(2)
1293/1	0.27
1003, 1004, 1005, 1006	0.07
1000/1	0.09
962	0.06
963/2	0.23
960	0.07
959	0.06
957/1	0.45
958	0.27
953/1, 954/2	0.08
953/2, 954/3	0.08
1293/1	0.05
928/1	0.16
843/1, 844/4	0.10
969	0.18
1297/1	0.08
1303/1	0.80
929/1	0.48
929/3	0.24
905/3	0.06
906/3	0.77
930	0.06
906/2	0.27
873	0.06
871	0.45
875	0.10
876	0.74
877	0.12
878/2 क/2	0.06
878/1 क/1	0.80
802/1	0.11
587/2	0.55
858/1	0.34
859/1	0.48
859/2	0.32
864/1ड	0.26
864/1 ठ	0.21
864/1 ख	0.96
338/1	0.27
586/4	0.11
1329/1	0.29
1377/1 प	0.24
1329/2	0.11
1377/1 ब	0.40
1377/1 भ	0.16
1377/1 स	0.21
1377/1 ट	0.16
योग 50	13.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय मायनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 20/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-झगराखांड
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.33 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
100	0.36
98/4	0.13
122	0.18
54/1	0.14
48/2, 49/2	0.14
60/1	0.10
19/4	0.28
98/3	0.15
56/1	0.28
146/3	0.21
26/2	0.20
19/14	0.02
60/2	0.02
23	0.21

(1)	(2)
19/2	0.18
19/5	0.14
47/1	0.10
53/5	0.46
60/4, 61/10	0.17
21/1	0.05
47/2	0.10
19/3	0.10
19/11	0.18
60/5, 61/5	0.18
24	0.31
98/1	0.48
50	0.18
123/1	0.14
123/2	0.14
योग 29	5.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय के अमहापारा माइनर एवं कन्हारी सब माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 21/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-तेन्दुमूड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.19 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
166/1	0.22
163/3	0.25
156/2	0.35
258/2	0.42
257	0.10
259	0.64
261	0.25
151/6	0.15
163/1	0.14
155/1	0.24
219/2	0.08
247	0.10
255/1	0.26
253/2	0.23
256	0.11
164/2	0.16
254/1	0.14
235	0.37
236/1	0.46
151/1	0.13
165	0.15
156/1	0.04
246/1	0.20
योग 23	5.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय अन्तर्गत कन्हारी सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.